पीठासीन अधिकारी— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:— 57/2017/अपील

सुरजाराम 67 वर्ष पुत्र श्री घड़सीराम जाति जाट निवासी ग्राम दिशनाउ तहसील लक्ष्मनगढ जिला सीकर राजस्थान

अपीलान्ट

बनाम

1. केशरदेव उम्र 84 वर्ष
2 बनवारीलाल उम्र 82 वर्ष
3. मनोहर लाल उम्र 72 वर्ष
4. गिरधारी लाल उम्र 68 वर्ष
5. रूकमानन्द उम्र 62 वर्ष

} पुत्रगण स्व. बल्लूराम

1 से 5 जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा लक्ष्मनगढ रामदेवजी के मन्दिर के पास तहसील लक्ष्मनगढ़ जिला सीकर राजस्थान

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मनगढ़ जिला सीकर नामान्तकरण सं. 3948 बाबत खसरा नम्बर 141/2 वाके कस्बा लक्ष्मनगढ

वकील अपीलांट श्री रिड़मल सिंह

निर्णय **दिनांक:—23.03.2018**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा लक्ष्मनगढ़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 141/2 रकबा 10.7200 हैक्टर में से रकबा 1.73 हैक्टर में से रेस्पोडेन्टस सं. 1 से 5 के 5/7 हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भमि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 से दिनांक 17.04.2013 को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये खरीद ली थी जिसका पंजीयन उपपंजीयन महोदय, लक्ष्मनगढ के यहां पुस्तक सं. एक के जिल्द सं. 347 के पृष्ठ सं. 26 की क्र.सं. 1826 पर पंजीबद्व किया गया है और उक्त क्रयशुदा कृषि भूमि को अपीलान्ट हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर रहा है। अपीलान्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये अपनी क्रयशुदा कृषि भूमि वाके कस्बा लक्ष्मनगढ में स्थित खसरा नम्बर 141/2 रकबा 10.7200 हैक्टर में से रकबा 1.73 हैक्टर में से 5/7 हिस्से की कृषि भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट अपने नाम करवाने हेतु तहसीलदार लक्ष्मनगढ़ के समक्ष निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय लक्ष्मनगढ़ ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाये ही दिनांक 30.12.2013 को विधि विरूद्व व गलत तरीके से खारिज कर दिया। तहसीलदार लक्ष्मनगढ़ द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 141/2 वाके लक्ष्मनगढ़ की बिना मौके की जांच किये ही नामान्तकरण निरस्त कर दिया गया है । अपीलान्ट ने उक्त क्रयशुदा भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 से विक्रय पत्र में दर्ज कीमत देकर भूमि क्रय की है और अपीलान्ट ने उक्त क्रयशुदा भूमि का कब्जा रेस्पोडेंट सं. 1 से 5 से प्राप्त कर लिया था इसलिए अपीलान्ट उक्त भूमि का सदभाविक क्रेता है। तहसीलदार लक्ष्मनगढ़ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज किये जाने का एकमात्र निष्कर्ष अंकित किया गया है कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी बाबत न्यायालय में वाद लम्बित होने व स्थगन होने के आधार पर नामान्तकरण निरस्त किया गया है जबकि उक्त निष्कार्ष कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर दिया गया है क्योंकि स्थगन आदेश में नामान्तकरण तस्दीक करने पर कोई रोक नहीं थी फिर भी तहसीलदार जी

22/3/18

लक्ष्मनगढ़ ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नहीं करके कानूनी प्रावधानों के विपरीत उक्त नामान्तकरण निरस्त किया है। जिस दिनांक 17.04.2013 को उक्त कृषि भूमि बाबत विक्रय पत्र उपपंजीयन महोदय, लक्ष्मनगढ़ द्वारा तस्दीक किया गया था उस दिन उक्त आराजी की बाबत कोई वाद व स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं था फिर भी योग्य अधीनस्थ तहसीलदार लक्ष्मनगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.12.2013 को नामान्तकरण सं. 3948 को निरस्त करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं था। पजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये जाने वाले नामान्तकरण में कब्जे की जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विक्रय पत्र में कब्जे के आदान प्रदान करने की बाबत स्पंष्ट उल्लेख किया जाता है विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी के क्रयशुदा भूमि का कब्जा अपीलान्ट ने विक्रतागण से प्राप्त कर लिया गया था फिर भी अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा जानबूझकर कब्जे की रिपोर्ट बाबत टिप्पणी की गई है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मनगढ़ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण अस्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसील लक्ष्मनगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 141/2 रकबा 10.7200 हैक्टर में से रकबा 1.73 हैक्टर में से 5/7 हिस्से की भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण अस्वीकार करने की आज्ञा दिनांकिंत 30.12.2013 को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में क्रयशुदा कृषि भूमि का नामान्तकरण स्वीकार किया जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उक्त विवादित भूमि दिनांक 17.04.2013 को पंजीकृत विक्रय पत्र के रेस्पो. संख्या 1 लगायत 5 से क्रय की थी। रेस्पो. संख्या 1 लगायत 5 से भूमि क्रय करते समय उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं था। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चूंकि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा नामान्तकरण संख्या 3948 न्यायालय में वाद लम्बित होने व स्थगन होने का नोट अंकित कर निरस्त किया है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में यह भी उल्लेख किया है कि दिनांक 17.04.2013 को उक्त कृषि भूमि बाबत विक्रय पत्र उपपंजीयन महोदय, लक्ष्मनगढ़ द्वारा तस्दीक किया गया था उस दिन उक्त आराजी पर कोई वाद व स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं था, किन्तु दिनांक 17.04.2013 को विवादित आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन होने व नहीं होने के सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलार्थी का कथन है कि स्थगन आदेश में नामान्तकरण तस्दीक करने पर कोई रोक नहीं थी, फिर भी तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नहीं करके कानूनी प्रावधानों के विपरीत उक्त नामान्तकरण निरस्त किया है। परन्तु इस कथन की पुष्टि करने एवं साबित करने के सम्बंध में न तो कोई दस्तावेजात और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से इस कथन की रिकॉर्ड पर पुष्टि नहीं होती है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेजात के अभाव में अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/3/18

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official